रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 113] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 11, 1974/फाल्गुन 20, 1895

No. 113] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 11, 1974/PHALGUNA 20, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

ORDER

New Delhi, the 11th March 1974

S.O. 163(E).—In exercise of the powers conferred by Section 18G of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, namely:—

1. (1) This Order may be called the Motor Cars (Distribution and Sale) Control (Second Amendment) Order, 1974.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Motor Cars (Distribution and Sale) Control Order, 1959, for clause 7A, the following clause shall be substituted, namely:—

"7A. *Restrictions on purchase of a new motor car.*—No person who has purchased a new motor car shall be permitted to purchase another new motor car until two years have elapsed from the date of purchase of the said motor car, except under a permit in writing from the Controller or, in a State, an Officer appointed for the purpose by the Government of that State:

Provided that where a purchaser is a company, association or other body of persons, whether incorporated or not, the Controller or the officer so appointed may, having regard to the nature of its business or functions or any other circumstances, by order in writing stating the reasons therefor, authorise the purchase of such number of new motor cars in any calendar year as he may fix".

[No. 13(16)/74-Lic. Pol.]

S. K. SAHGAL, Jt. Secy.

औद्योगिक विकास मन्त्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 11 मार्च, 1974

का० आ० 163 (अ).—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18छ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात :—

1. (1) इस आदेश का नाम मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण (द्वितीय संशोधन) आदेश, 1974 है ।

(2) यह आदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. मोटर कार (वितरण और विक्रय) नियंत्रण आदेश, 1959 में, खण्ड 7 क के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात :—

"7 क.—**नई मोटर कार के क्रय पर निर्बंधन.**—किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जिसने नई मोटर कार खरीदी है, जब तक उक्त मोटर कार के क्रय की तारीख से दो वर्ष बीत न जाएं, दूसरी नई मोटर कार खरीदने की अनुज्ञा नियंत्रक से या राज्य की दशा में, उस राज्य की सरकार द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी अधिकारी से लिखित अनुज्ञा पत्र के अधीन के सिवाय नहीं दी जाएगी :

परन्तु यदि क्रेता एक कम्पनी, संगम या व्यक्तियों का अन्य निकाय है, चाहे वह निगमित हो या न हो, तो नियंत्रक या इस प्रकार नियुक्त किया गया अधिकारी, उसके कारबार या कृत्यों की प्रकृति या किन्हीं अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, उस के लिए जो कारण हैं उन्हें कथित करते हुए लिखित आदेश द्वारा किसी कलेण्डर वर्ष में उतनी नई मोटर कार जितनी वह नियत करे, खरीदने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा ।

[सं० 13 (16) 74-लाइसे-पॉलि०]

एस० के० सहगल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1974